कार्यालय,रक्षा लेखा महानियंत्रक,
उलन बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010
(हिंदी कक्ष)

सं. : 0746/हि0क0/हि0प0/मु0का0 दिनांक : 06 अगस्त, 2020

सेवा में

प्रधान लेखा नियंत्रक(फै0)/
सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक

विषय : हिंदी दिवस/पखवाड़े के अवसर पर रक्षा लेखा विभाग के कार्यालयों में हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन।

****

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरुकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह/हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में रक्षा लेखा विभाग भी अपने कार्मिकों को हिंदी में कार्य निष्पादित करने तथा राजभाषा के प्रति रुचि जागृत करने हेतु सितम्बर माह में प्रतियोगिताओं का आयोजन करता आया है।

आपसे अनुरोध है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, मानक प्रचालन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों को यथासंभव ऑनलाइन तरीके से आयोजित किए और इसमें भाग लेने के लिए अधिकाधिक कार्मिकों को प्रोत्साहित करें। इस संबंध में राजभाषा विभाग की दिनांक 31 जुलाई, 2020 की का.ज्ञा.सं. 11034/02/2019-रा.भा.(नीति) की प्रति मार्गदर्शन हेतु प्रेषित है।

प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी विजेताओं को पुरस्कृत किए जाने हेतु संबंधित कार्यालयों को उपयुक्त राशि भी स्वीकृत की जाए। हिंदी पखवाड़े के आयोजन के उपरांत आयोजन संबंधी एक रिपोर्ट मुख्यालय कार्यालय को अवश्य प्रेषित करने का कष्ट करें। कृपया पावती दें ।

संलग्न : यथोपरि

अमित

(अमित गुप्ता)
रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशा.)

प्रतिलिपि :

सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रणाली : अपलोड करने हेतु

अमित

(अमित गुप्ता)
रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशा.)

सं.-11034/02/2019-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

चौथा तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली,

दिनांक: 31 जुलाई, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सितंबर, 2020 में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के आयोजन के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के **दिनांक 21.04.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14034/2/87-रा.भा.(क-1)** का अवलोकन करें जो सितंबर माह में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के आयोजन के संबंध में है। यह सर्वविदित है कि राष्ट्र निर्माण में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के बाद, 14 सितंबर, 1949 को जब संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, तो इससे हमारे संवैधानिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ गए। इस दिवस की स्मृति में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

2. आज हिंदी का महत्व राजभाषा, संपर्क भाषा और विश्वभाषा के रूप में बढ़ रहा है| केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग पहले की तुलना में अब कई गुना बढ़ गया है। इस संदर्भ में दोहराया जाता है कि **राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12** के अनुसार केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वे **राजभाषा अधिनियम, 1963**, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में, राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने हेतु सितंबर, 2020 में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह का आयोजन करें। इन कार्यक्रमों की अवधि इस प्रकार रखी जाए कि "हिंदी दिवस" (14 सितंबर) इस अवधि के दौरान शामिल रहे। इस दौरान इस तरह के आयोजन किए जाएं, जो अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी में मौलिक कार्य को जैसे टिप्पणी, मसौदे, पत्राचार और प्रपत्र को बढ़ाना है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी कार्मिकों को राजभाषा से संबंधित **संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968** और समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति से संबंधी जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराने के प्रयत्न किए जाएं। साथ ही उनके सरकारी कार्य में **सरल हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाए**। राजभाषा के रूप में सरकारी काम-काज में प्रयोग की जाने वाली हिंदी सरल, सहज एवं आम जनता की समझ में आने वाली होनी चाहिए। **वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में राजभाषा नीति जोकि, प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सदभावना पर आधारित है, के संबंध में चर्चा की जानी चाहिए।**

5. हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के दौरान, अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदर्शन हेतु, हिंदी भाषा में कुछ प्रमुख सुक्तियों के कम से कम दस पोस्टर/बैनर/स्टैन्डी अथवा एक-दो डिजीटल डिस्प्ले बनवाए जाएं। इन्हें प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं ताकि हिंदी के प्रति यह हमारे सांविधिक एवं संवैधानिक बाध्यता का स्मरण कराएं, हमारे कार्मिकों को हिंदी में अधिक से अधिक सरकारी कार्य करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। *प्रमुख हस्तियों की कुछ सुक्तियॉ सभी मंत्रालयों/विभागों हेतु संलग्न हैं ताकि वे इन्हें प्रदर्शित कर सकें, यदि मंत्रालयों/विभागों के पास अपेक्षित सुक्तियां उपलब्ध नहीं हैं।* राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर भी ये सुक्तियॉ उपलब्ध हैं|

6. **सभी से अनुरोध है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों को यथासंभव ऑनलाइन तरीके से आयोजित किए जाएं।**

7. हिंदी के प्रचार व प्रसार को प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं आदि को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी अवगत कराएं।

संलग्न : यथोक्त

सुमीत जैरथ
31/07/2020

(डॉ. सुमीत जैरथ)
सचिव, राजभाषा विभाग

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव